R. 3732 PBR/16

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल

प्रकरण क. /2016

श्रीमती नाज़ सिद्दीकी, आयु 41 वर्ष,
पत्नि श्री मोहम्मद अजहर खान एवं
पुत्री स्व. हबीबउल्ला खान
कृषक, ग्राम इस्लाम नगर,
निवासी 10–ए, बी.डी.ए.कॉलोनी,
कोहेफिजा, भोपाल .....अपीलार्थी

विरूद्ध

श्रीमती राना असलम, आयु 52 वर्ष,
पत्नि श्री असलम सलीम एवं
पुत्री स्व. हबीब उल्ला खान
कृषक, ग्राम इस्लाम नगर,
निवासी 18–बी, करबला,
वी.आई.पी.रोड, भोपाल .....प्रतिअपीलार्थी

अपील अन्तर्गत धारा 44(1) म.प्र. भू–राजस्व संहिता

महोदय,

अपीलार्थी द्वारा प्रकरण क. 39/अन्तरण/2015–16 नाज़ सिद्दीकी विरूद्ध राना असलम में अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–09–2016 से व्यथित होकर यह अपील निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य :–

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी एक ही परिवार की सन्तान होकर सगी बहनें हैं और पंजीकृत बटवारानामा वर्ष 1998 के अनुसार प्राप्त पैतृक कृषि भूमि पर काबिज़ होकर कृषि कार्य करती है। वर्ष 2006–07 में रिस्पोन्डेन्ट/आवेदिका द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त 1, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के न्यायालय में धारा 131 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थी/अनावेदिका की निजी भूमि में से रास्ता दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो विचाराधीन है।

यह कि अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष विचाराधीन उक्त प्रकरण क. 1/अ–13/2006–07 की सुनवाई के समय अपीलार्थी के हितों के विपरीत रिस्पोन्डेन्ट/आवेदिका के समर्थन में अधिनस्थ तहसील न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 3732 –पीबीआर/16 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–10–2016	अपीलार्थी के विद्वान, अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 29–9–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधिसंगत है कि अपीलार्थी द्वारा प्रकियात्मक विलम्ब कारित कर न्यायालय का समय व्यर्थ किया गया है । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा म0प0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 37 के अंतर्गत रूपये 10,000/– शासकीय व्यय वसूली का आदेश देने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अतः यह अपील प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	